फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **श्री मुकेश डांगी** विपक्षी :— **श्री कैलाश डांगी**

किस्म मुकदमा :— 136 आरटीएक्ट पत्रावली संख्या :— **135/24 वि.प्रा.पत्र**

जीसीएमएस नम्बर :— **2024/528**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 26.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम वांगरोदी पटवार हल्का भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 164 पर दर्ज आराजी नम्बर 299 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि कैलाश पिता नारायणसिंह, वादी मुकेश पिता केसीया, सुखलाल पिता गांगा के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि उनके पिता केसा एवं सुखलाल द्वारा क्रय कर लिया गया। परन्तु फिर भी विपक्षी संख्या 1 का नाम दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दिनांक 04.12.89 को बेचान दस्तावेज पंजीयन हुआ जिसमें कैलाश पुत्र नारायण सिंह नाबालिग दर्ज है। उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 95 दर्ज किया गया। जिसको ग्राम पंचायत द्वारा नाबालिग कैलाश पिता नारायणसिंह 1/10 हिस्से को यथावत रखते हुए नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 13.06.90 को स्वीकृत हुआ तब से लेकर आज तक कैलाश पिता नारायणसिंह का 1/10 हिस्सा लगातार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पाई गई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी का अवलोकन करने से तथा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रूटि नही की गई। कैलाश पुत्र नारायण सिंह नाबालिग होने से ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित करते समय इसकी भूमि का नामान्तरकरण पारित नही किया। यदि प्रार्थी उक्त नामान्तरकरण से संतुष्ट नही था तो इसकी सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियां नामान्तकरण के अनुसार ही होने से किसी प्रकार की कोई गलती नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का खारिज योग्य पाया जाता है। **—: <u>आदेश</u> :—** परिणामस्वरूप वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2025.10.24 16:54:01 Reason: SelfAttested **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	